



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231411
CG-DL-E-26112021-231411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 600]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-167/2015-डीडी/154/2015-डीसी/754/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771), प्लॉट नंबर 478/812, एआईजीएसएनआईए, अलुगड़ी के समीप, खंडगिरी, भुवनेश्वर 751 019 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (10) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771) के नाम को 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है और उक्त जुर्माना जमा कराने में असफल रहने की दशा में उसके नाम को 06 (छह) मास की आगे और अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अधिरोपित जुर्माना जमा कराने में असफल रहा है, अतः, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में

और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 126 (एक सौ छब्बीस) मास की समेकित [10 (दस) वर्ष धन अतिरिक्त 06 (छह) मास] अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./464/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-167/2015-DD/154/2015-DC/754/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771), Plot No. 478/812, AIGSNIA, Near Alugadi, Khandagiri, BHUBANESWAR 751 019**, guilty of Professional and/or Other Misconduct falling within the meaning of Clause (10) of Part I of Second Schedule and Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771)** from the Register of Members for a period of 10(Ten) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only and in the event of non-payment of said fine, his name be removed for a further period of 6(six) months. Since the Respondent failed to pay the imposed fine, in pursuance of the aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 126 (one hundred and twenty six) months [10(ten) years plus additional 6(six) months]with effect from 26th November, 2021.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./464/2021-22]